

## न्यायालय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर


प्रकरण क्रमांक :

/2014 रिवीजन R-2275-I/114

1. सूर्यभान सिंह जादौन पुत्र श्री ओमकार सिंह,
  2. श्रीमती पुष्पा जादौन पत्नी श्री सूर्यभान सिंह,
  3. मनोज सिंह जादौन पुत्र श्री सूर्यभान सिंह,
  4. वर्षा जादौन पत्नी श्री मनोज सिंह,
  5. शिवप्रताप सिंह पुत्र श्री सूर्यभान सिंह,
- समस्त निवासीगण—ग्राम हीरापुरा, तहसील सबलगढ़, जिला मुरैना (म.प्र.)

—आवेदकगण

श्री शकेश नारायण काठिया  
वकील आदेश दि 25-7-14 को  
पेश

  
वकील ऑफ कोर्ट 25-7-14  
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

विरुद्ध

1. कप्तान पुत्र श्री छोटे, जाति मेहतर,
  2. श्रीपति पुत्र सम्पतियां,
  3. मुनेश पुत्र सम्पतियां
  4. सुल्तान पुत्र सम्पतियां
  5. जतन पुत्र मुल्ला
  6. तिनकी पुत्र मुल्ला,
  7. रनवीर सिंह पुत्र नाथू सिंह,
  8. दयाल सिंह पुत्र रनवीर सिंह,
- समस्त निवासीगण—ग्राम हीरापुरा, तहसील सबलगढ़, जिला मुरैना (म.प्र.)

—अनावेदकगण

रिवीजन प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 50 मध्यप्रदेश भू राजस्व  
संहिता विरुद्ध आदेश न्यायालय आयुक्त चम्बल संभाग मुरैना  
के प्रकरण क्रमांक 50/2005-06 निगरानी वउनवान कप्तान  
एवं अन्य बनाम रनवीर सिंह एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक. R.2275/2114... जिला मुर्झा

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
2.6.17	<p>आवेदक अफि. डी. आर. एन. शिक्षण अनुपस्थित / आवेदक अफि दिनांक 8.12.16 से गिरफ्तार अनु है अतः प्रकरण आवेदक की अनुपस्थिति में अदालत पंजी में रवाना किया जाना है आवेदक को उनके कोठारे में आवाक जावकीजारी पंजी अनुपस्थित रहे अतः अतः प्रकरण रवाना किया जाना है</p>	